(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. HEALTH-A(3)-6/2010, DATED 20-3-2012 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

******

No. Health-A(3)-9/2010 Dated Shimla-2, the 20-3-12

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Opthalmic Assistant, Class III (Non-Gazetted), in the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure - A attached to this notification, namely :-

Short title and commencement : 1.(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh. Department of Health & Family Welfare, Opthalmic Assistant Class III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2012

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal & Savings: 2. (1) The Himachal Pradesh, Health & Family Welfare Department Opthalmic Assistant , Class III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2001 notified vide this Department notification No. Health-A-A(3)-19/97 dated 8-2-2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(i) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By Order

Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. No. Health-A(3)-9/2010 Dated Shimla-2, the 20-3-12

1. The Accountant General (Audit), H.P. Shimla-3.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
3. The Controller, H.P. Printing & Stationery Deptt. Shimla-5 for publication in the Extra Ordinary Rajpatra.
4. The ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. The Director of Health Services Shimla-9.

Gupta

Under Secretary(Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF OPTHALMIC ASSISTANT, CLASS-III (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMIY WELFARE H.P.

1.	Name of Post :	Opthalmic Assistant
2.	Number of Posts :	149 (One Hundred forty nune)
3.	Classification :	Class-III (Non Gazetted)
4	Scale of Pay	(i) Scale of Pay for regular incumbents: Pay Band ₹ 10300-34800+ ₹ 3600 Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees ₹ 13900/- P.M. as per details given in Col. No.15-A
5.	Whether Selection Post or Non- Selection Post:	Not Applicable
6	Age for direct recruitment:	Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment ;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions /of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies;

(1)Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2)Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits:	**(a) ESSENTIAL QUALIFICATION:** (i) Should have passed 10+2 (with Science) Examination or its equivalent from a recognized University / Board . (ii) Must possess two year's duration certificate of training in Opthalmic Assistantship or its equivalent from an Institution duly recognized by the Centre/H.P. Government. **OR** B.Sc. Degree in Opthalmology from Himachal Pradesh University or equivalent Degree recognized by the H.P. Government. **(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS:-** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s)	Age: Not applicable Educational-Qualification: Not applicable.
9	Period of probation, if any	Two years' subject to such further extension for a Period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion / deputation transfer is to be made:	Not Applicable.
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not Applicable.
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment:	As required under the law.
14	Essential requirement for direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruitment authority ,as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test , the standard /syllabus etc. of which , will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.
15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

I) Concept:-

(a) Under this policy, the Opthalmic Assistant in the Health & Family Welfare Department will be engaged on <u>contract</u> basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended .

(b) **Post falls within purview of HPSSB:** The Director of Health Services after obtaining the approval of the Govt. to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur .

(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

II CONTRACTUAL EMOLUMENTS

The Opthalmic Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated contractual amount @ ₹ 13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +Grade pay). An amount of ₹ 420 /- (3% of the minimum pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

III. Appointing /Disciplinary authority

Director of Health Services H.P. will be appointing and disciplinary authority.

IV Selection process

Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur

V COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur

VI Agreement

After selection of a candidate he/she shall have to sign an agreement as per **Annexure-"B"** appended to these Rules.

VII Terms and Conditions:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 13900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 420/- (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc., only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officers shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. The women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized medical officer/ practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Others Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not Applicable.
18	Power to Relax :	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

xxxx

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the ---------------- (name of post) & the Government of Himachal Pradesh through Director, Health & Family Welfare Department.

This agreement is made on this......day of...in the year........Between Sh/Smt ....S/o/D/oShri......................R/o.. Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Health & Family Welfare Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a..................... (name of post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a .... (name of the post) on contract basis for a period of 1 year commencing on day of.........and ending on the day of.......... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on .... and information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be extended /renewed.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs......../- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual..................... (name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual....................... (name of the post) He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual...................... (name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

17

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1...
....
....
(Name and Full Address)

2...
....
....
(Name and Full Address)

(signature of the FIRST PARTY)

1...
....
....
(Name and Full Address

2. ....
....
....
(Name and Full Address)

(signature of the SECOND PARTY)

हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संख्या : स्वास्थ्य–ए–ए(3)–9/2010 तारीख शिमला–171002, 20-3-2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आपथैलमिक सहायक , वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1 (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभांग आपथैलमिक सहायक, वर्ग--III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम , 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृतियां । 2 (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य–क–ए (3)–19/97 तारीख 8–2–2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आपथैलमिक सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: स्वास्थ्य–ए–ए(3)–9/2010 तारीख, शिमला–2 20-3-2012

1 महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–3 ।
2 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 ।
3 नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला–5
4. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला –9 ।
5. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
6. संरक्षण नस्ति / अतिरिक्त प्रतियां ।

नि गुप्ता
अवर सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध –"क"

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में आपथैलमिक सहायक , वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम :	आपथैलमिक सहायक
2	पदों की संख्या :	149 (एक सौ उन्चास)
3	वर्गीकरण :	वर्ग III (अराजपत्रित)
4	वेतमान :	(i)नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान: पे बैंड र 10300–34800/–जमा र 3600 ग्रेड पे (ii)संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां: र 13900/- रूपए प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।
5	चयन पद अथवा अचयन पद :	लागू नही
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियो सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी , जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी , जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत निकायों के प्रारंभिक गठन के पश्चात निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

1 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2 अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए :	(1) <u>अनिवार्य अर्हताएं</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यलय / बोर्ड से 10+2 (विज्ञान सहित) की परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो । (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से दो वर्ष की अवधि का आपथैलमिक सहायकी में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र रखता हो या इसके समतुल्य होंना चाहिए । या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से आपथैलमोलॉजी में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो या हिमाचल प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त समतुल्य उपाधि रखता हो । (2) <u>वांछनीय अर्हता</u> हिमाचल प्रदेश की रुढियों, रीतियों और बोलियेां का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपायुक्तता।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही :	(क) आयु — लागू नहीं । (ख) शैक्षिक अर्हताएं : — लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिस का एक [illegible] क ऐसी और अवधि के लिए विस्तारि[illegible] सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष प[illegible]ं और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति – भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा अन्य विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वांले पद (पदों) की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ,यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या – 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगें और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगें ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियॉ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा :	लागू नहीं।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यामान हो तो , उसकी संरचना :	लागू नहीं ।
13	भर्ती करने में , जिन परिस्थितियों में हिमांचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिएं चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयकम, इत्यादि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15–क	सॅंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) <u>संकल्पना</u>

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आपथैलमिक सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा । जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए संबद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहता है और केवल तभी उसकी सविंदा की अवधि नवीकृत /विस्तारित की जाएगी ।

(ख) <u>पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना :</u> निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) <u>संविदात्मक उपलब्धियां</u>

संविदा के आधार पर नियुक्त आपथैलमिक सहायक को ₹ 13900/– की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/–रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) <u>नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी</u>

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश , नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) **चयन प्रक्रिया**

संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन , मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड , हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :**

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,हमीरपुर द्वारा समय – समय पर गठित की जाए ।

(VI) **करार :**

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध – ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) **निबन्धन और शर्तें :**

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13900/– रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/–रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश , नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य/डियूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी , जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है , आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा , जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम,सामान्य भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछडें वर्गो और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नहीं
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध(उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

XXXX

उपाबन्ध– "ख"

आपथैलमिक सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/ करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री................................ ....निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने .... (पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार ....(पद का नाम) के रूप में.................. से प्रारम्भ होने और... .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.............. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हों जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरंण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी सविंदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम .... रूपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त ....(पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। सविंदा पर नियुक्त ....(पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त ....(पद का नाम) कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।
6. संविदा आधार नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में , बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक , उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का , यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो , तो वह उसी दर पर , जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम** पक्षकार और **द्वितीय** पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

2.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

2.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

Government of Himachal Pradesh
Department of Health & Family Welfare

No. Health-A-B(1)1/2007 Dated, Shimla-171002 14/7 Sep.2012.

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-designate the post of Ophthalmic Assistant to "Ophthalmic Officer" with immediate effect in the existing pay scale without any extra financial benefits and change of duties and responsibilities. .

By Order

(A.R.Rizvi)
Principal Secretary (Health)to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above. Dated Shimla-171002, the 14/7 Sept.2012.
Copy is forwarded to:

1. The PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.Shimla-171002.
2. The PS to Hon'ble Health Minister, H.P.Shimla-171002.
3. The Director, Health Services, Himachal Pradesh,Shimla-171009.
4. The Principal IGMC,Shimla/Tanda Medical College Kangra.
5. All the CMOs/BMOs/MSs in H.P.
6. The President,H.P. Netra Chikitsa Sahayak Sangh,O/O BMO Bhoranj, Distt. Hamirpur.
7. The Under Secretary (GAD)to the Government of H.P. with reference to CMM decision dated 10-9-2012, Item No. 62.
8. Guard File.

Harilev Singh

Additional Secretary(Health)to the
Government of Himachal Pradesh.

20 Copies

Seen
Chairman
Member-I
Member-II
Member-III
Member-IV
Secretary
Dy. Secretary
Under Secretary
Law Officer

Personal Attention

No. PER (AP)C-C(17) -2/2018
Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

*****

From

The Addl. Chief Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

1. The Director,
Department of Empowerment of SCs/OBCs and Minority Affairs and Specially Abled, Shimla-9.
2. The Director,
Youth Services and Sports, Shimla-2.
3. The Secretary,
H.P. Public Service Commission,
Shimla-171002.
4. The Secretary,
H.P. Staff Selection Commission,
Hamirpur-177001.
5. The Chairman-cum-Managing Director,
H.P. Ex-Servicemen Corporation, Hamirpur-177001.

Dated: Shimla-171002, the 23 October, 2020

Subject: - Eligibility for Appointment to Class-III and Class-IV Posts.

Sir,

I am directed to invite your attention to the Himachal Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and Class-IV Posts, Rules, 2019 framed vide this department notification of even number dated 19-11-2019. As per the provisions of the Rule 4 of Rules ibid:

> "A candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 and for Class-IV post(s), if he/she has passed Middle or Matriculation from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:
>
> Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis."

Further, it has been provided explicitly under Rule 2(2) that

"These rules may be read with Clause 7 of the Recruitm and Promotion Rules framed under article 309 of Constitution of India in any Government Department for Class-III and Class-IV posts."

Accordingly wherever requisition is received for filling up Class-I and /or Class-IV posts from any department under the State Government, it ma be ensured that copies of the R&P Rules for the relevant post and Himacha Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and Class-IV Posts, Rules, 2019 ar invariably annexed with such requisition and the eligibility of the applicants i determined accordingly.

Yours faithfully,

(Om Prakash Bhandari)
Joint Secretary (Personnel) to
Government of Himachal Pra
Telephone No. 0177-26260